



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक - 03 सितम्बर, 2024

थाना - ककोड़

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी किया गया 01 बैटरा, 01 स्टेबलाइजर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामदा

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 02/03.09.2024 की रात्रि में थाना ककोड़ पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर 02 शातिर चोरो को चोरी के एक बैटरा, एक स्टेबलाइजर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित बैलाना अलीपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना ककोड़ पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मोनू पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. भागेन्द्र भाटी पुत्र सत्य प्रकाश निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. 01 बैटरा (चोरी का)
2. 01 स्टेबलाइजर (चोरी का)
3. 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 30.08.2024 की रात्रि में थाना ककोड़ क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम बैलाना में स्थित सावल कृपाल रुहानी आश्रम में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना ककोड़ पर मुअसं- 287/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड़
2. उ0नि0 शिवम तोमर, उ0नि0 वेद प्रकाश
3. का0 अरुण कुमार, का0 कालीचरण,
का0 अशोक कुमार, का0 मुलायम सिंह



मीडिया सैल बुलन्दशहर